उत्तर प्रदेश शासन
सैनिक कल्याण अनुभाग
संख्या–155/48–2018–14 (विविध)/2017
लखनऊः दिनांक : 19 मार्च, 2018

आदेश

सशस्त्र सेना के तीनों सेनाओं (थल सेना, नौ सेना एवं वायु सेना) और अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत रहते हुये कर्तव्य पालन के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों/अर्द्धसैनिक बलों के आश्रितों को शासकीय सेवा में लिये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है ।

2. उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में शहीद सैनिकों/अर्द्धसैनिक बलों के आश्रितों को शासकीय सेवा में सेवायोजित किये जाने हेतु श्री राज्यपाल निम्नवत् नियम/उप नियम/उपबन्ध एवं व्यवस्थायें विनिर्दिष्ट करते हैं –

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं विस्तार

1. (क) यह आदेश 'उत्तर प्रदेश के मूल निवासी (Domicile) शहीद सैनिकों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में कार्यकारी आदेश' के नाम से अभिज्ञात होगा ।

(ख) यह आदेश वर्ष 2017–18 के माह अप्रैल के प्रथम दिवस या उसके बाद के शहीद सैनिकों/अर्द्धसैनिक बलों के आश्रितों को शासकीय सेवा में नियोजित करने के परिप्रेक्ष्य में लागू होगा ।

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कार्यकलाप से संबंधित लोक सेवाओं और अन्य पदों पर शहीदों के आश्रितों को सेवायोजित किया जायेगा किन्तु यह उन सेवाओं और पदों पर लागू नहीं होगा जो उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत आते हैं।

परिभाषाएँ

2. जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस आदेश के अन्तर्गत –

(क) शहीद (Battle Casualty) सैनिकों का तात्पर्य

सशस्त्र बल के तीनों सेनाओं और अर्द्धसैनिक बलों के कार्यकलाप के संबंध में सेवायोजित स्थायी/अस्थायी रूप से नियुक्त/कमीशण्ड आफीसर/सैनिक हैं जिनका कर्तव्य पालन के दौरान देश की सीमा पर अर्न्तराष्ट्रीय युद्ध, गोलावारी, बैटल एक्सीडेन्ट, सीमा पर छुट–पुट/आतंकवादी घटनाओं तथा अराजकतत्वों की गतिविधियों में हुई हिंसा, प्राकृतिक आपदा एवं वाहन दुर्घटना के दौरान शहीद हुये है।

अथवा

(ख) कर्तव्य पालन के दौरान बिन्दु (क) पर वर्णित घटनाओं के समय ऐसे लापता शहीद जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा मृत घोषित किया गया हो ।

(ग) शहीद के आश्रितों के अन्तर्गत वरीयता क्रम में निम्नलिखित माने जायेंगे :–

(शहीद सैनिक के विवाहित होने की स्थिति में)

1. पत्नी/पति (जैसी स्थिति हो)
2. पुत्र/विधवा पुत्रवधू ।
3. अविवाहित पुत्रियॉ
4. कानून संगत दत्तक पुत्र/दत्तक पुत्रियॉ
5. पिता/माता

परन्तु उक्त आश्रितों के शारीरिक/मानसिक अनुपयुक्तता की स्थिति में आश्रित पौत्र/अविवाहित पौत्रियॉ आश्रित की श्रेणी में माने जाने जायेंगे।

(शहीद सैनिक के अविवाहित होने की स्थिति में)

1. पिता/माता
2. अविवाहित भाई
3. अविवाहित बहन
4. विवाहित भाई

(घ) नियुक्ति प्राधिकारी का तात्पर्य पद से संबंधित नियमावली में वर्णित नियुक्ति अधिकारी से है।

सेवायोजन हेतु आवेदन एवं उसकी प्रकिया का निर्धारण

3. शहीद के आश्रित की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र सशस्त्र बल की तीनों सेनाओं के लिए सैनिक कल्याण विभाग, उ0प्र0 तथा अर्द्धसैनिक बल के लिए गृह विभाग, उ0प्र0 को सम्बोधित किया जायेगा, जिसमें अन्य अपेक्षित तथ्यों के साथ–साथ मृत शहीद की मृत्यु का दिनांक, सेना/अर्द्धसैनिक बल की इकाई एवं पद, (जिस पर वह अपनी मृत्यु के पूर्व कार्य कर रहा था।) का भलीभॉति उल्लेख किया जायेगा । आवेदन पत्र में परिवार का विवरण, आवेदक की शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं, एवं मृतक शहीद के परिवार के सदस्यों के नाम, उनकी आयु, विवाह, सेवायोजन तथा आय संबंधी विवरण भी उल्लिखित किये जायेंगे ।

सेवायोजन हेतु विभागों का आवंटन

(4) सैनिक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश एवं गृह विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा अपने–अपने विभाग में शहीद आश्रितों के प्राप्त सेवा संबंधी आवेदन पत्र को विभागों की रोस्टर प्रणाली के अनुसार सेवायोजन हेतु संबंधित विभाग को आवंटित किया जायेगा ।

पद के लिए शैक्षिक अर्हताएँ

(5) शहीद के आश्रित के किसी सदस्य की भर्ती हेतु यह आवश्यक होगा कि वह पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हताएँ पूरी करता हो।

परन्तु, भारत सरकार/राज्य सरकार व उनके अधीन अर्द्ध सरकारी संस्थानों में कार्यरत/सेवानिवृत्त कर्मी एवं संवैधानिक पदों पर कार्यरत/पूर्व में कार्य कर चुके शहीद के आश्रित सेवा के योग्य नहीं माने जायेंगे।

सेवायोजन हेतु वरीयता का निर्धारण ।

(6) यदि शहीद के परिवार के एकाधिक सदस्य सेवायोजन हेतु पात्र है तो ऐसी दशा में वरीयता में पहले आने वाले आश्रित द्वारा यह घोषणा–पत्र प्रस्तुत करने पर कि वह सेवायोजन हेतु अपने अवसर को अगली वरीयता के आश्रित को हस्तान्तरित कर रहे है, तभी अगली वरीयता के आश्रित को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवायोजित किया जायेगा। सेवायोजित करते समय समस्त परिवार विशेष रूप से उसके माता/पिता तथा अवयस्क सदस्यों के कल्याण के निमित्त उसके सम्पूर्ण हित को ध्यान में रखा जायेगा ।

सेवायोजन हेतु आयु

(7) शहीद के आश्रित की नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी की आयु नियुक्ति के समय 18 वर्ष से कम नहीं होगी। अधिवर्षता आयु पूरी कर चुके आवेदकों पर विचार नही किया जायेगा ।

सेवायोजन हेतु रोस्टर प्रणाली का तैयार किया जाना ।

(8) शहीद के आश्रित की भर्ती/नियुक्ति हेतु विभागों की रोस्टर प्रणाली तैयार करके प्राप्त आवेदनों को आवंटित करके सेवायोजन की कार्यवाही की जायेगी।

रिक्ति की विद्यमानता न होने की दशा में अधिसंख्य पदों का सृजन।

(9) संबंधित विभाग में रिक्ति की विद्यमानता न होने की दशा में ऐसी नियुक्ति अधिसंख्य पद के प्रति की जायेगी जिसे इस प्रयोजन के लिए सृजित किया गया समझा जायेगा और जो तब तक चलता रहेगा जब तक कोई नियमित रिक्ति उपलब्ध न हो जाय।

उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन

(10) शहीदों के आश्रितों की नियुक्ति/सेवायोजन प्रदान किये जाने के संबंध में एवं विभागवार रोस्टर निर्धारण हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में निम्नवत् उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाता है –

(1) मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन – अध्यक्ष
(2) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन – सदस्य
(रोस्टर में शामिल विभाग)

उपर्युक्तानुसार गठित समिति द्वारा शहीद सैनिकों के आश्रितों को सेवायोजित किये जाने के संबंध में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा ।

सेवायोजन हेतु नोडल विभाग

(11) सशस्त्र बल के तीनों सेनाओं के मृतक आश्रितों के लिए सैनिक कल्याण विभाग, उ0प्र0 एवं अर्द्धसैनिक बल के मृतक आश्रितों के लिए गृह विभाग, उ0प्र0 नोडल विभाग होंगे जो समय–समय पर मुख्य सचिव, उ0प्र0 की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कराने के लिए उत्तरदायी होंगे।

कठिनाईयों का निवारण

(12) मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति इस आदेश के कार्यान्वयन में किसी कठिनाई/त्रुटि को दूर करने के प्रयोजनार्थ ऐसे सामान्य या विशेष आदेश दे सकती है, जिसे वह इस प्रयोजन हेतु आवश्यक या समीचीन समझे ।

3. उत्तर प्रदेश के मूल निवासी शहीद सैनिकों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने के प्रयोजनार्थ इस आदेश में वर्णित एवं उल्लिखित उपबन्धों का अक्षरशः अनुपालन प्रदेश शासन के अन्तर्गत समस्त विभागों पर बाध्यकारी होगा ।

(मनोज सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 155 (1)/48–2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
6. निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उ0प्र0 ।

आज्ञा से,

(कामता प्रसाद)
उप सचिव ।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1 सैनिक कल्याण–7–4–2018–(28)– 2,000 प्रतियां (क0/टी0/ऑफसेट)।